<u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> जिला–बालाघाट, (म.प्र.)

<u>आप.प्रकरण.क.–604 / 2012</u> संस्थित दिनांक–27.07.2012

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-रूपझर,		
जिला–बालाघाट (म.प्र.)		<u>अभियोजन</u>
/ <u> </u>	//	
3, 0		
कान्ती कुमार पिता गणेश प्रसाद ठाकरे, उम्र 39 व	वर्ष,	
निवासी-ग्राम डोरा, पुलिस चौकी डोरा, थाना रूप	झर,	
जिला—बालाघाट (म.प्र.)		-
// <u>निर्णय</u> //		
(शाज दिनांक 12 /11 /2014 को मोशित)		
// विरूद्ध कान्ती कुमार पिता गणेश प्रसाद ठाकरे, उम्र 39 व निवासी—ग्राम डोरा, पुलिस चौकी डोरा, थाना रूप जिला—बालाघाट (म.प्र.) ———————————//	वर्ष, झर, ———————— -————	- — <u>आरोपी</u> - — — -

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304(ए) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—09.06.2012 को समय शाम 5:30 बजे ग्राम केशा अंतर्गत चौकी डोरा आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग (खेत के किनारे कच्चे रास्ते) पर वाहन ट्रेक्टर कमांक—एम.पी.50 / ए.2991 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक आशीष को ठोस मारकर ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि घटना दिनांक—09. 06.2012 को समय शाम 5:30 बजे ग्राम केशा अंतर्गत चौकी डोरा आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत वाहन ट्रेक्टर कमांक—एम.पी.50 / ए.2991 के चालक कान्ती कुमार ठाकरे द्वारा उक्त वाहन को तेज गित व लापरवाही पूर्वक चलाते हुये मृतक आशीष को ठोस मार दिया, जिससे मृतक की मृत्यु हो गई। उक्त घटना की सूचना प्रार्थी हुलकचंद द्वारा चौकी डोरा में दर्ज करवायी गई। पुलिस द्वारा मृतक आशीष की मर्ग इंटीमेश्न कमांक—0 / 12 तैयार कर नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, मृतक के शव का शव परीक्षण करवाया गया तथा आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक—0 / 2012, धारा—304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, जिसकी असल कायमी थाना रूपझर में अपराध कमांक—58 / 2012, धारा 304ए पंजीबद्ध कर दर्ज की गई। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार

किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, दुर्घटना कारित वाहन मय दस्तावेज के जप्त कर, वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भा.द.वि. की धारा—304(ए) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:--

1. क्या आरोपी ने दिनांक—09.06.2012 को समय शाम 5:30 बजे ग्राम केशा अंतर्गत चौकी डोरा आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग (खेत के किनारे कच्चे रास्ते) पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी.50 / ए.2991 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक आशीष को ठोस मारकर ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?

विचारणीय बिन्दू पर सकारण निष्कर्ष :-

फरियादी हुलकचंद (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह आरोपी को पहचानता है। मृतक आशीष उसका नाती था। वह घटना के समय ट्रेक्टर से खेत में खाद डालकर वापस आ रहा था, उस समय ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था तभी मृतक आशीष रोड़ के किनारे खडा होकर ट्रेक्टर बैठने के लिये रूकवा रहा था तो ट्रेक्टर की ट्राली का चक्का लग गया तथा मृतक आशीष के मस्तक पर ट्रेक्टर की ट्राली का चक्का चला गया। कुछ देर बाद आशीष की मृत्यू हो गई थी। उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। घटना की रिपोर्ट उसने चौकी डोरा में प्रदर्श पी-1 के रूप में किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मर्ग इंटीमेश्न प्रदर्श पी-2, पंचनामा प्रदर्श पी-3, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-4 एवं नजरी नक्शा प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने रिपोर्ट लिखाते समय और पुलिस कथन देते समय यह बता दिया था कि ट्रेक्टर ट्राली के पीछे का चक्का मृतक के मस्तक के उपर से चला गया था, यदि उक्त बात रिपोर्ट एवं पुलिस कथन में न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि साक्षी के द्वारा लिखायी गई रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 एवं उसके पुलिस कथन में आरोपी के द्वारा ट्रेक्टर को तेज रफतार से लापरवाही पूर्वक एवं खतरनाक ढंग से चलाते हुये आशीष को डोस मारने के स्पष्ट कथन किये गये है। ऐसी दशा में मृतक मे मस्तक के उपर वाहन का चक्का चला गया होना के विस्तृत कथन का उल्लेख न होने और अपने न्यायालयीन कथन में उक्त तथ्य का खुलासा किये जाने से महत्वपूर्ण लोप के रूप में नहीं देखा जा सकता है। बास्तव में साक्षी ने जिस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन में घटना के संबंध में तथ्य पेश किये है, उसी के अनुरूप अपने न्यायालयीन कथन में तथ्यों को पेश किया गया है।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह ट्रेक्टर के सामने बैठा था और सामने की ओर देख रहा था, उसने पीछे चक्का लगते हुये नहीं देखा। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी कथन किया है कि वह नहीं कह सकता कि पीछे के चक्के में मृतक के दब जाने से आरोपी की गलती थी या नहीं। साक्षी का स्वतः कथन है कि यदि आरोपी गाडी रोक देता तो दुर्घटना नहीं होती। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी ने दुर्घटना कारित नहीं की। इस प्रकार साक्षी के कथन का बचाव पक्ष की ओर से उसके प्रतिपरीक्षण में महत्वपूर्ण रूप से खण्डन नहीं किया गया है, जिस कारण उसकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

दिनेश (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वह आवाज सुनकर घटना स्थल पर पहुंचा तो मृतक आशीष ट्रेक्टर की ट्राली के बाहर जमीन पर मृत अवस्था में पडा था और उक्त वाहन घटना स्थल पर ही खडा था। साक्षी का आगे यह भी कथन है कि उसे बाद में पता लगा कि उक्त ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था। पुलिस ने पंचायतनामा प्रदर्श-3, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-4, घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसने आरोपी को ट्रेक्टर चलाते हुये नहीं देखा था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने उसके सामने दुर्घटना कारित ट्रेक्टर को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर आशीष को ठोस मारा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने मृतक के सिर एवं दाहिने हाथ में गंभीर चोट लगी हुई देखी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त घटना के समय वह मौके पर उपस्थित नहीं था, इसलिये नहीं बता सकता कि ट्रेक्टर को कौन चला रहा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आशीष की दुर्घटना किस ट्रेक्टर से हुई इसकी उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन का समर्थन करने के उपरांत भी प्रतिपरीक्षण में अपने कथन से मुकरते हुये अभियोजन पक्ष का समर्थन महत्वपूर्ण रूप से नहीं किया है।

8— पुनुसिंह (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना करीब देढ़ वर्ष पुरानी गर्मी के समय शाम 3 बजे की है। वह अपने घर से खेत जा रहा था तो उसने एक लड़के को घायल अवस्था में लाते हुये देखा था, उसके सिर और शरीर के तरफ से खून ही खून निकल रहा था तथा

गंभीर चोटे आयी थी। थोडी देर बाद उसे पता चला कि लडका खत्म हो गया था। उसे लोगों ने बताया था कि लडको ट्रेक्टर ने मार दिया है। साक्षी का आगे यह कथन है कि ऐसा नहीं हुआ था कि उसके सामने आरोपी ने ट्रेक्टर को तेज गति और खतरनाक तरीके से चलाते हुये मृतक आशीष को टक्कर मारी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मृतक को कहां चोट लगी थी, उसने ठीक से नहीं देखा था। किन्तु साक्षी का स्वतः कथन है कि वह बहुत घायल अवस्था में था। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में महत्वपूर्ण रूप से नहीं किया है।

- 9— नीलकंठ (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना के समय ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था और ट्रेक्टर में उसके पिता हुलकचंद भी बैठे हुये थे। आरोपी ने ट्रेक्टर से उसके पुत्र आशीष को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आशीष की मृत्यु आरोपी के द्वारा ट्रेक्टर को लापरवाही पूर्वक चलाने से हुई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह मौके पर नहीं था, इस कारण नहीं बता सकता कि ट्रेक्टर को घटना के समय कौन चला रहा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि किस ट्रेक्टर व ट्राली से दुर्घटना हुई, वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी ने केवल इस तथ्य की पुष्टि अपने साक्ष्य में की है कि घटना के समय वाहन दुर्घटना में उसके पुत्र आशीष की मृत्यु हो गई थी, किन्तु उक्त के अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।
- 10— डाक्टर वासु क्षत्रिय (अ.सा.5) ने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि वह दिनांक—10.06.2012 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उकवा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ होते हुये उसने आरक्षक के द्वारा पेश करने पर मृतक आशीष के शव का परीक्षण किया था। उसने मृतक आशीष के खोपड़ी की हड्डी, बांये हसली व बांये कंधे की हड्डी में फेक्चर पाया था। उसके मतानुसार मृतक की मृत्यु वाईटल आर्गनस डैमेज होने से कोमा के कारण हुई थी। उसकी शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के कथन का खण्डन बचाव पक्ष ने उसके प्रतिपरीक्षण में नहीं किया है। इस प्रकार साक्षी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय मृतक आशीष की मृत्यु वाहन दुर्घटना के कारण हुई थी।
- 11— प्रमोद ठाकरे (अ.सा.६) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—6 एवं गिरफतारी पंचनामा प्रदर्श पी—7 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने उक्त दस्तावेजों पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था, किन्तु हस्ताक्षर किस बाबत् कराये थे उसे नहीं मालूम। इस प्रकार साक्षी ने पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

अनुसंधानकर्ता अधिकारी मनोज पंचबुद्वे (अ.सा.७) ने मुख्यपरीक्षण में 12-कथन किया है कि वह दिनांक-09.06.2012 को पुलिस चौकी डोरा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था तथा उक्त दिनांक को उसने प्रार्थी हुलकचंद की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक-0 / 2012, धारा-304(ए) भा.द.वि. की कायमी कर मर्ग इंटीमेश्न लेख किया था। उक्त दिनांक को ही उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 एवं मर्ग इंटीमेश्न प्रदर्श पी-2 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही घटना स्थल पहुंचकर मृतक आशीष की मृत्यू के संबंध में समंस प्रदर्श पी-3 जारी कर, नक्शा पंचातयतनामा प्रदर्श पी-4 तैयार किया था। उसने प्रार्थी हुलकचंद की निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसने दिनांक-13.06.2012 को आरोपी कांती कुमार के द्वारा पेश करने पर दुर्घटना कारित वाहन ट्रेक्टर कमांक-एम.पी.50 / ए.2991 एवं ट्राली कमांक-एम.पी.50 / ए.2993 मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसने आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्रदर्श पी-7 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान साक्षी हुलकचंद, दिनेश, नीलकंड, पुनुसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उनके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई प्राथमिक जांच व सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

13— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि मामले में प्रार्थी हुलकचंद के अलावा अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है, इस कारण अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की साक्ष्य भी आरोपी की दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। प्रकरण में हुलकचंद (अ.सा.1) ने घटना के चक्षुदर्शी साक्षी एवं फरियादी की हैसियत से उसके द्वारा लिखायी गई रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिसमें महत्वपूर्ण विरोधाभाष एवं लोप होना प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में उक्त साक्षी की साक्ष्य पर मात्र इस कारण अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि अन्य अभियोजन साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। वास्तव में अन्य साक्षीगण ने भी मुख्य परीक्षण में अभियोजन का समर्थन करने के उपरांत प्रतिपरीक्षण में अपने कथन से मुकरने से अभियोजन को उनकी साक्ष्य का लाभ प्राप्त नहीं होता है। यद्यपि शेष साक्षीगण के कथन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मृतक आशीष की घटना के समय वाहन दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। मृतक आशीष के शव

परीक्षण करने वाले चिकित्सक की साक्ष्य से उक्त तथ्य की पुष्टि होती है।

- 14— प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा की गई सम्पूर्ण जांच एवं अनुसंधान कार्यवाही से भी अभियोजन मामले को समर्थन प्राप्त होता है। इस प्रकार एक मात्र चक्षुदर्शी साक्षी हुलकचंद (अ.सा.1) की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।
- 15— प्रकरण में हुलकचंद (अ.सा.1) ने स्पष्ट रूप से अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा वाहन को तेज गति, लापरवाही पूर्वक एवं खतरनाक तरीके से दुर्घटना कारित वाहन ट्रेक्टर को चलाकर मृतक आशीष को टक्कर मारकर मृत्यु कारित करने के कथन किये है तथा प्रतिपरीक्षण में भी साक्षी के उक्त कथन का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वतः कथन किये है कि यदि आरोपी घटना के समय गाडी रोक देता तो दुर्घटना नहीं होती। उक्त तथ्य से भी यही आशय निकाला जा सकता है कि आरोपी ने दुर्घटना कारित वाहन को घटना के समय उचित सावधानी एवं सम्यक तत्परता से न चलाकर वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चालन करते हुये मृतक आशीष को टक्कर मारकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता। इस प्रकार अभियोजन ने अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है।
- 16— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग (खेत के किनारे कच्चे रास्ते) पर वाहन ट्रेक्टर कमांक—एम.पी.50 / ए.2991 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक आशीष को ठोस मारकर ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304 (ए) अंतर्गत दोषसिद्व ठहराया जाता है।
- 17— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उसके द्वारा मामले में वर्ष 2012 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोडा जावे।
- 18— मामले की परिस्थिति व अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दिण्डत किये जाने पर न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है। अतएव मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की

की धारा–304(ए) के अपराध के अंतर्गत एक वर्ष के कठोर कारवास से दण्डित किया जाता है।

19— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है।

20— प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में नही रहा है, इसके संबंध में धारा–428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रथक से प्रमाण–पत्र तैयार किया जावे।

21— प्रकरण में जप्तशुदा ट्रेक्टर कमांक—एम.पी.50/ए.2991 एवं ट्राली कमांक—एम.पी.50/ए.2993 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार गणेश प्रसाद ठाकरे वल्द हनवंतराय ठाकरे, निवासी डोरा चौकी डोरा जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है। अतएव अपील अवधि पश्चात् सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट